प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 165/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Sandeep Arora Add: 132, Mahaveer colony, Bedla road, Badgaon, Udaipur

...............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी झाडोल, उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 17-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329179052273402 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1314732565 दिनांक 22.11.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/165/24/1372–73 दिनांक 25.11.2024 से लिखा गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः सू.अ./2024/1385 दिनांक 10.12.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से चाही गई। चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 394 दिनांक 24.06.2008 द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महोदय जिला परिषद उदयपुर को मूल ही प्रेषित की जा चुकी है। उक्त संबंध में श्री संदीप अरोड़ा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः सु.का.अ./2024/1291 दिनांक 13.11.2024 से सूचित कर दिया गया है। अतः प्रथम अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, झाडोल से सूचना चाही गई है। प्रत्यर्थी के पत्रांक 1385 दिनांक 10.12.2024 अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नही होकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर को प्रेषित की गई है, जिससे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2024 से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा मूल पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर को प्रेषित कर दिये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानानुसार आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर आवेदन पत्र को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महोदय जिला परिषद उदयपुर को अंतरित करना चाहिए था इसके विपरित प्रत्यर्थी द्वारा केवल आवेदन प्राप्ति के 28 दिन बाद बिना अंतरित किये अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर के कार्यालय में दिनांक 24.06.2008 को प्रेषित कर दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत यदि किसी आवेदक को सूचना निश्चित समय में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो वह वांछित सूचना को निःशुल्क पाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी झाडोल को निर्देशित किया जाता है कि वह वांछित सूचना को संबंधित लोक प्राधिकरण से प्राप्त कर नियमानुसार अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी झाडोल को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर